28

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 623–दो/2009 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 6–3–2009 – पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्र0क्र0 61/2006–07 अपील

1– छोटेलाल 2– कैलाश नारायण
3– रामस्वरूप पुत्रगण लड़ायते ब्राहमण
निवासीगण कनेरा मजरा ताल का पुरा
तहसील अटेर जिला भिण्ड मध्य प्रदेश **---आवेदकगण**

विरूद्ध

1– रामवरण सिंह 2– रामस्वरूप सिंह
3– रामधन सिंह 4– रामप्रकाश सिंह
5– रामशरण सिंह पुत्रगण अमर सिंह गुर्जर
निवासीगण कनेरा मजरा ताल का पुरा
तहसील अटेर जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
6– रामवेटी फोत वारिस
ट– रामगोपाल ब– सुरेन्द्र स– प्रहलाद
पुत्रगण स्व. रामवेटी
7– श्रीमती सीतादेवी पत्नि हरिज्ञान ग्राम
मढ़ेपुरा तहसील वाह जिला आगरा
8– श्रीमती इच्छादेवी पुत्री सोनादेवी
निवासी गोविन्दनगर भिण्ड मध्य प्रदेश **---अनावेदकगण**

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री रामवरण सिंह)

आ दे. श
(आज दिनांक 1 – 8 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना के प्र0क्र0 61/ 2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–3–09 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मान.प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक भिण्ड के प्रकरण कमांक 61 ए/87 में पारित आदेश दिनांक 9–8–2001 को प्रस्तुत करते हुये आवेदकगण ने तहसीलदार अटेर से नामांत्रण की मांग की। तहसीलदार अटेर ने प्रकरण क्रमांक 63/01–02 बी 121 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 1–5–2003 पारित करके ग्राम कनेरा की भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 3–480 हैक्टर के भाग 1/2 पर आवेदकगण का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने प्रकरण क्रमांक 38/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–11–2006 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार अटेर का आदेश दिनांक 1–5–03 निरस्त कर दिया तथा उक्तांकित भूमि के भाग 1/6 पर अनावेदकगण का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 61/ 2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–3–09 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार अटेर ने प्रकरण क्रमांक 63/01–02 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 1–5–2003 से ग्राम कनेरा की भूमि कुल किता 8 कुल रकबा 3–480 हैक्टर के भाग 1/2 पर आवेदकगण का नामान्तरण किया है जिसका मूल आधार उन्होंने मान.प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 61 ए287 में पारित आदेश दिनांक 9–8–2001 को बताया है। अनुविभागीय अधिकारी अटेर के आदेश दिनांक 9–11–2006 एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना के आदेश दिनांक 6–3–09 में की गई विवेचनाओं से स्पष्ट है कि मान. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश द्वारा विवादित भूमि के रकबे को आवेदकगण के पक्ष में नहीं माना है और न ही इच्छादेवी द्वारा किये गये वक्रय पत्र को प्रभावशून्य घोषित किया

है। जिला न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 6/01 अ0दी0 में पारितआदेश दिनांक 29–4–2002 एंव प्रकरण क्रमांक 13/2003 में पारित निर्णय दिनांक 16–8–2004 अनुसार प्रत्येक पक्षकार को विवादित भूमि के 1/6 एंव 1/6 हिस्से का हिस्सेदार माना गया है तथा महिला इच्छादेवी द्वारा किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को प्रभावशून्य घोषित नहीं किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना ने आदेश दिनांक 6–3–09 से अनुविभागीय अधिकारी अटेर के आदेश दिनांक 9–11–2006 को पुष्टिकृत किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है और इन्हीं कारणों से विचाराधीन निगरानी सारहीन पाई गई है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/ 2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–3–09 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर